(ग) सरकार, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को स्पष्ट सें अस्वीकार करती हैं । यह शांति स्थिरता और विकास के लिए समस्यओं का समाधान बातचीत और विचार-विमर्श के द्वारा करने में विश्वास रखती हैं । मई, 1997 में पूर्वोत्तर राज्यों के अपने दौरे के दौरान और फिर जुलाई, 1997 में जम्मू एवं कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह पेशकश की थी कि सरकार उन गुमराज युवकों, के साथ बिना शर्त बाचतीत करने के लिए तैयार हैं जो जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादी रैंको में और पूर्वोत्तर में भूमिगत तत्वों में शामिल हो गए हैं ।

Refusal of States to Set up Units of NHRC

232. SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Bihar has refused the National Human Rights Commission's request to constitute its State unit;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Bihar reported 2,320 cases during 1996-97, the maximum number of cases of human rights violations, in the country;

(d) the details of action taken for regular review of cases of human rights violations in Bihar; and

(e) the details of other States that refused to set up State units of NHRC?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The Government of Bihar has not set up the State Human Rights Commission. It is of the view that the existence of the National Human Rights Commission (NHRC) at the national level makes it redundant to establish a similar authority at the State level too.

(c) It is true that Bihar reported 2,320 cases of violation of Human Rights during 1996-97. However, Bihar was not the State with the maximum number of such cases.

(d) The NHRC takes cognizance of all complaints and reviews all such cases of violation of Human Rights, regularly, as per prescribed procedure, under the Protection of Human Rights Act, 1993.

(c) Goa, Haryana, Maharashtra, Meghalaya, Tripura and NCT of Delhi have not set up State level Human Rights Commissions till now.

पंजीकृत ईसाई-मिशनरियां

233. **श्री ओंकार सिंह लखावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी पंजीकृत ईसाई मिशनरियां कार्यरत हैं,

(ख) उक्त ईसाई-मिशनरियों में से कितनी मिशनरियां विदेशी सहायता प्राप्त कर रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन मिशनरियों द्वारा कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई,

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चत करती हैं कि ऐसी विदेशी सहायता का सही उपयोग किया जाए, और

(घ) राजस्थान में कुल कितनी ईसाई मिशनरियां कार्यरत हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार भारत में 1085 विदेशी मिशनरियां रह रही थी ।

(ख) धार्मिक एसोसिएशनों सहित स्वयंसेवी एसोसिल एशनों द्वारा, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे, गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में निहित हैं । वार्षि रिपोर्टो (1996-97) की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) श्री जी, श्रीमान्।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में तीन विदेशी ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं ।

सबरी मलार में भगदड़

234. **श्री नरेन्द मोहन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1999 के दौरान केरल में सबरी मलार में हुई भगदड़ की जांच कराई हैं

जिसके परिणामस्वरूप 60 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे हैं, और

(ख) क्या राज्य सरकारें तीर्थ स्थलों में भगदड़ को नियंत्रित करने संबंधी सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय हैं अतः केन्द्र सरकार ने इस घटना की कोई जांच की हैं।

(ख) धार्मिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण उपायों के बारे में केन्द्र सरकार की कोई नीति नहीं हैं। संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता हैं। संबंधित राज्य सरकारों का काम हैं कि वह राज्यों में कानून और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उचित उपाय निकाले और ठोस उपाय करे।

Negotiations with ultras of North-East

235. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been any progress in, Government's negotiations with ultras in the North-East, for a peaceful settlement of different issues being pressed by them;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Government are committed to hold talks with the militant outfits of the North East to establish peace and normalcy in the region. The Prime Minister in his Press statement at Guwahati on 15.4.1998 had stated "To all those who have strayed from the paths of togetherness, whether in Assam or other State of the North East, I extend an invitation: come forward; let us discuss, my Government is committed to holding takes, to a restoration of peace; let us do so within the four corners of our Constitution."

After talks with the Issac-Muviah group of the National Socialist Council of Nagaland, it was mutually agreed to cease fire for three months with effect from 1st August, 1997. The cease fire has since been extended till end of July, 1999.

Probe into foreign funding for conversions

236. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to probe foreign funding for conversions;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, how Government propose to ensure greater transparency in the flow of foreign funds to all the organisations and the purpose for which they were spent?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) There is no such proposal.

(b) Does not arise.

(c) Under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 associations, which are covered under the said Act, are required to furnish intimation in regard to receipt and utilisation of foreign contribution by them, on yearly basis, duly certified by a Chartered Accountant, to the Ministry of Home Affairs. The monitoring of foreign contribution is done through the returns submitted by such associations. The Central Government is also empowered under the Act to order inspection of accounts or records or audit books of accounts of such associations.

नेता जी के बारे में ब्रिटिश सरकार की घोषणा

237. **प्रो0 राम गोपाल यादव :**

श्री ईश दत्त यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिदिश सरकार ने नेता जी सुभाषचन्द्र बोस को युद्ध-अपराधी घोषित किया था,